न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरणं स0 09/2020 प्रवेश तिथि 18.06.2020 निर्णय दिनांक 20.09.2021

GCMS NO 2020 00016

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कूण्ड़ला तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.जयदीपसिंह पुत्र कुशलसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी ग्राम अनावड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का कुण्ड़ला द्वारा ग्राम कुण्ड़ला आ0ख0न0 44/1448 रकबा 0.25 हे0 भूमि किस्म बंजड़ खातेदारी भूमि में गैर सायल जयदीपसिहं पुत्र कुशलसिंह भाटी जाति राजपूत सा0 अनवाड़ा 0.25 हे0 पर रिसोर्ट निर्माण कर व्यावसाहिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण कराये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को भूमि रूपान्तरण हेतु समय दिया गया, रूपान्तरण नहीं कराये जाने पर कार्यवाही अम्ल में लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया गैर सायल के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए का उल्लघन किया है। गैर सायल द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः जयदीपसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी अनावड़ा के विरूद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम कुण्ड़ला के आ0ख0न0 44/1448 /0.25 हे0 भूमि पर व्यवसाहिक(रिसोर्ट) गतिविधि उपयोग करने पर राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर सरह लगान का 0.50(पूर्णाक 1) का 50 गुणा 50 रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। वसुली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। गैर सायल को यह कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। कृषि शर्तों का उल्लघंन किये जाने के कारण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति लेख भण्ड़ार हो।

आज दिनांक 20.09.2021 को लिखा जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 11 पर 90A पै. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा.